न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 16/2021 बउनवानी परवीन कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं मुख्य कार्यकारी अधि.जिला परिषद,स0मा0
पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह नि0 कोहराना, तहसील बहरोड़ जिला अलवर

GCMS No-2021/45

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
09.04.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर की ओर से जिला परिषद का प्रतिनिधि उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.2.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर मुझे बताया जावे कि राजस्थान राज्य से बाहर की महिलाये जिनका विवाह राजस्थान राज्य मे हुआ एवं शिक्षक भर्ती,2018 मे अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 के पदो पर आरक्षित वर्ग ओबीसी/एसएसी/एसटी मे लाभ देकर नियुक्ति दी गयी, ऐसी सभी विवाहित महिलाओ के नाम की प्रमाणित सूची मूल राज्य के नाम सहित मुझे उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे ऑन लाईन प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित प्रतिनिधि ने लोक सूचना अधिकारी एव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर की ओर से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2021 मे चाही गयी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक (मुख्यालय)सवाईमाधोपुर से होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक सवाईमाधोपुर के पत्रांक जिशिअ/प्रार/समा/संस्था–1/2021/1119 दिनांक 25.3.2021 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जिला परिषद के प्रतिनिधि द्वारा निवेदन किया गया।

जिला परिषद के प्रतिनिधि द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 05.02.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक स0मा0 के पत्रांक जिशिअ/प्रार/समा/संस्था–1/2021/1119 दिनांक 25.3.2021 अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.21 17:39:13 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर